

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग  
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग-491001

क्र. २२७ दि. २१/०७/२०२६

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/158  
दिनांक 27.05.2026

श्री प्रितम आर चरखा  
प्लॉट नं. 64, अनुष्ठा रेसीडेंसी,  
खम्हरिया रोड़, जुनवानी, भिलाई  
बी.पी. नं. 1004220062,  
मो नं. 94214100197

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर पश्चिम) संभाग  
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई
2. सहायक अभियंता  
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., नेहरू नगर जोन

अनावेदकगण

विषय :- विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही न किए जाने के संबंध में।

आदेश

( आज दिनांक 17.07.2026 को पारित किया गया )

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा दिनांक 27.05.2026 को प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि उन्होंने क्रय किए गए मकान में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1004220062 को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 15.04.2026 को नेहरू नगर जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया था। नाम परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 22.04.2026 को जमा कर दिया गया था, किन्तु दिनांक 27.05.2026 तक नाम परिवर्तन की कार्यवाही लंबित रही, जिससे उन्हें अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ा।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक ब्लू/कल्ल/2026/158 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई दिनांक 19.06.2026 को अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि वे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय संहिता), 2011 के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान फोरम ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय संहिता), 2011 की कंडिका 7.24 एवं 7.25 का अवलोकन किया। उक्त प्रावधानों के अनुसार, स्वामित्व अथवा कब्जे में परिवर्तन होने की स्थिति में नया स्वामी अथवा अधिभोगी निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन का नाम परिवर्तन कराने का अधिकारी है। कंडिका 7.25(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदन स्वीकार किए जाने एवं आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात दो बिलिंग चक्रों के भीतर उपभोक्ता के नाम परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिए।

अभिलेखों से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 15.04.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा नाम परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क दिनांक 22.04.2026 को जमा कर दिया गया था। अतः विद्युत प्रदाय संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अनावेदकों का दायित्व था कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण करे।

उक्त प्रकरण में निष्कर्ष से पूर्व माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत आचार संहिता 2011 के नियमों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा नाम परिवर्तन हेतु आवेदन करने पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है

विद्युत आचार संहिता 2011 की कंडिका 7.24 एवं 7.25 की उपकंडिका (1) (2) (3) के अनुसार

Transfer of connection in the name of new occupant:  
" 7.24 A connection may be transferred in the name of another person upon death of the consumer or in case of transfer of the ownership or occupancy of the premises, upon filing an application form in the prescribed format given in Annexure 4 of this Code for change of name by the new owner or occupier:

7.25 The licensee shall deal with applications relating to change of consumer's name due to change in ownership/occupancy of property in accordance with the procedure detailed below:

(1) The applicant shall apply for change of consumer's name in the format prescribed in Annexure 4 of this Code, along with a copy of the latest bill duly paid. The request for transfer of connection shall not be accepted unless all dues recoverable against the concerned connection are settled. The application form shall be accepted on showing proof of ownership /occupancy of property. A "No Objection Certificate" from the registered consumer/ authorized person/ previous occupant of the premises shall be required for cases involving transfer of security deposit in the name of applicant.

(2) In case the "No Objection Certificate" from the registered consumer/authorized person/ previous occupant for transfer of security deposit in the name of applicant is not submitted, an application form for change of name shall be entertained only if security deposit as stipulated in this Code is paid afresh. However, the original security deposit shall be refunded to the claimant as and when a claim is preferred by the concerned person.

(3) Change of consumer's name shall be effected within two billing cycles after acceptance of application form and execution of supplementary agreement by new applicant. "

आवेदक द्वारा संबंधित कार्यालय में दिनांक 15/4 2026 को आवेदन जमा किया गया एवं नाम परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 22/4/2026 को जमा किया गया

उक्त प्रावधानों के अनुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शन का नाम परिवर्तन दो बिलिंग चक्र के भीतर किया जाना है

दिनांक 15/7/2026 को अनावेदकों द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है तथा कनेक्शन अब आवेदक के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

## 2. फोरम का निष्कर्ष

फोरम का मत है कि विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 में निर्धारित समय-सीमाओं का पालन वितरण अनुज्ञप्तिधारी का वैधानिक दायित्व है। उपभोक्ताओं के आवेदनों पर अनावश्यक विलंब न केवल उपभोक्ता को असुविधा पहुँचाता है, बल्कि सेवा प्रदाय की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः भविष्य में ऐसे मामलों में संहिता में निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान में उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है अतः निम्नानुसार आदेश पारित करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है

## 3. आदेश

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है –

1. अनावेदकों द्वारा आवेदक के विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1004220062 का नाम परिवर्तन किए जाने की कार्यवाही अभिलेख पर ली जाती है।
2. कार्यपालन अभियंता (नगर पश्चिम), भिलाई एवं सहायक अभियंता, नेहरू नगर जोन यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन संबंधी सभी आवेदनों का निराकरण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय संहिता), 2011 की कंडिका 7.24 एवं 7.25 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।
3. चूँकि आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, अतः यह परिवाद निस्तारित किया जाता है।
4. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।
5. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों उपभोक्ता द्वारा जारी संतुष्टि के आधार पर निराकृत।

6. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

  
(ममता कश्यप)

सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत  
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)

અધ્યક્ષ

विद्युत उपभोक्ता शिकायत  
निवारण फोरम दुर्ग